कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 227/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 13.06.2026

प्रेस नोट, दिनांक : 13.06.2026
थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

☐ साइबर फ्रॉड पीड़ित को आजमगढ़ पुलिस ने दिलाई राहत, ₹10 हजार की पूरी धनराशि वापस कराई

☐ एनसीआरपी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, थाना अहरौला की साइबर टीम की प्रभावी कार्यवाही

आजमगढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला की साइबर टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 08.04.2025 को वैभव जनसेवा केंद्र, निवासी ग्राम बस्ती भुजवल, पोस्ट युधिष्ठिर पट्टी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के साथ साइबर ठगी की घटना हुई थी, जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा ₹10,000/- की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक उनके खाते से निकाल ली गई थी। पीड़ित द्वारा घटना के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 33104250041557 दर्ज कराई गई थी।

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना अहरौला की साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खाते में धनराशि होल्ड कराई गई तथा एमआरएम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार पीड़ित के खाते में ₹10,000/- की संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित ने आजमगढ़ पुलिस एवं थाना अहरौला की साइबर टीम का आभार व्यक्त किया।

कार्यवाही करने वाली साइबर टीम-
उ0नि0 नितेश कुमार चौबे, का0 अभिषेक मौर्या, रि0आ0 धर्मेन्द्र कुमार एवं रि0म0आ0 सोनी सिंह, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट
थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
दिनांक : 13.06.2026

☐ अवैध मदरसे के नाम पर 62.84 लाख रुपये के शासकीय अनुदान गबन प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ मदरसा पोर्टल पर फर्जी अभिलेख अपलोड कर शासकीय धनराशि हड़पने का आरोप

□ SIT/EOW जांच में उजागर हुए अवैध मदरसा प्रकरण में आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

घटना का विवरण-

राज्य विशेष अपराध अनुसंधान दल (EOW), मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के निरीक्षक/जांचकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर मदरसा **शरीफुल उलूम गोसड़ी, शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदपुर, जनपद आजमगढ़** (मदरसा आईडी-191100770) के प्रबंधक **मो0 इलियास** द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें असली के रूप में प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से **₹62,84,000/-** की शासकीय अनुदान धनराशि के गबन का प्रयास किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए।

उक्त प्रकरण के संबंध में थाना रानी की सराय पर **मु0अ0सं0-40/2025, धारा 409/420/467/468/471 भादवि** पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त **मो0 इलियास पुत्र मो0 हनीफ निवासी गोसड़ी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, हाल पता खोवा मंडी कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़** का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दीदारगंज पुलिस (चौकी मार्टिनगंज) एवं थाना रानी की सराय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 13.06.2026 को समय 09:40 बजे मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मो0 इलियास को थाना रानी की सराय गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मो0 इलियास पुत्र मो0 हनीफ निवासी गोसड़ी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़, हाल पता खोवा मंडी कस्बा सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 63 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-40/2025, धारा 409/420/467/468/471 भादवि, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पंकज सिंह, थाना दीदारगंज (चौकी प्रभारी मार्टिनगंज), जनपद आजमगढ़।
2. रि0का0 प्रवीश कुमार, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक 13.06.2026

थाना – गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

साइबर फ्राड के 6000/- रूपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना- आवेदिका मंशिका यादव पुत्री हंशराज यादव निवासी ग्राम फैजुल्लापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के युनियन बैंक के खाते से गूगल पे के माध्यम से **6000 रूपये** का फ्राड हो गया था। जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा साईबर हेल्प लाइन नं0 **1930** के माध्यम से शिकायत पंजीकृत करवाया गया था।

रिफण्ड वापसी का विवरण- साइबर टीम गम्भीरपुर द्वारा आवेदक के शिकायत की जांच की गयी तो ज्ञात हुआ कि “आवेदिका के साथ यूपीआई के माध्यम से **6000** का फ्राड हो गया था। जिसके उपरांत जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा साईबर हेल्प लाइन नं0 **1930** के माध्यम से शिकायत पंजीकृत करवाया गया था। साइबर टीम गम्भीरपुर द्वारा

तत्काल शिकायत पर कार्यवाही करते हुए फ्रॉड हुए सम्पूर्ण धनराशि,**6000** रुपये फ्रॉड स्टार के खाते में फ्रीज़ करवाकर साइबर टीम थाना गम्भीरपुर द्वारा नियमानुसार फ्रॉड हुई सम्पूर्ण धनराशि **6000 रुपये** आवेदिका के खाते में MRM पोर्टल के माध्यम से वापस कराया गया। जिस पर आवेदिका द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रकट किया गया।

साइबर सेल गम्भीरपुर– उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी, म0का0 सुषमा सरोज थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।